न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 40/2023 (2023/137)

1. माणकचन्द पुत्र रामदयाल जाति जाट निवासी ग्राम देवलियाखुर्द तहसील केकड़ी जिला अजमेर

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

--अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः—
श्री कमलेश कुमार शर्मा :— अधिवक्ता प्रार्थी
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 17.04.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
459—390	251	0.54	बारानी 1
	252	0.06	बारानी 1
	255	0.31	बारानी 1
	कुल किता 3	**कुल रकबा 0.91 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज है जो प्रार्थी के कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है। एवं प्रार्थी काश्त कर फसल प्राप्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात के कोई सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी को आराजीयात को काश्त करने में बाधा उत्पन्न होती है इसलिए प्रार्थी अपनी आराजीयात का नाप चौप करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित करवाना चाहता है ताकि भविष्य में प्रार्थी को आराजीयात की सीमा को लेकर कोई बाधा उत्पन्न नही हो सके। प्रार्थी ने अप्रार्थी को सीमाज्ञान कराने हेतु निवेदन किया परन्तु कोई सुनवाई नही हुई जिससे यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ। प्रार्थी को प्रार्थनापत्र पेश करने का मूल कारण दिनांक 22.02.2022 को प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब आराजीयात के स्थाई सीमा चिन्ह नही होने से प्रार्थी को फसल काश्त करने में बाधा उत्पन्न हुई व अब दिन प्रति दिन उत्पन्न हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम छाबडिया तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया—पुराना 459—390 में दर्ज खसरा नम्बर 251, 252, 255 किता 3 कुल रकबा 0.91 हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

Scanned with OKEN Scanner